न्यायालय– अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० , न्यू)/ विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट), लखीमपुर खीरी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 145/2022

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या– 2362/2022

सी०एन०आर०नं० – यू०पी०एल०पी० 01–005051–2022

बब्लू पुत्र छोटे , निवासी मो० खेड़ा , थाना निगोही , जिला शाहजहाँपुर ।

------------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---------------- अभियोगी

अ0सं0 526 /2022,

धारा 8/ 21 एन०डी०पी०एस० एक्ट

थाना मोहम्मदी , जिला– लखीमपुर खीरी।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त बब्लू की ओर से अ0सं0 526 /2022, धारा 8/ 21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना मोहम्मदी जिला–लखीमपुर खीरी के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है । अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि कथित मुकदमें में प्रार्थी को वादी मुकदमा ने झूठा नामित कर दिया है । प्रार्थी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है , जिससे उसके ऊपर कथित आरोपित अपराध बनता हो । प्रार्थी के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुयी है , जो बरामदगी दर्शायी गयी है , वह जाली व फर्जी है । विवेचक द्वारा धारा 50 व 50 ए दं०प्र०सं० का अनुपालन नहीं किया गया है । उक्त मुकदमें के विवेचक द्वारा कथित घटना में बरामदशुदा पाउडर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कोई जाँच प्रस्तुत नहीं की गयी है , जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है । उक्त मुकदमें में प्रार्थी के पास से जो फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है , वह वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है । प्रार्थी पूर्व में किसी भी मामले में दोषसिद्ध नहीं है । प्रार्थी जमानत पर रिहा होने के पश्चात जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/ अभियुक्त ने याचना की है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध किया ।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 20–07–2022 को उपनिरीक्षक निराला तिवारी मय हमराही कर्मचारीगण के विनावर देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित , चेकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति में रवाना होकर शहजहाँपुर रोड पर भगेली तिराहा पर मौजूद थे कि पुआया की तरफ से चार व्यक्ति आते दिखायी पड़े , जो उन पुलिसजनों के एकदम निकट आ जाने के कारण सकपका कर पीछे मुड़कर पुआया की तरफ भागने लगे कि सिसोरा निकुमपुर से करीब 200 मीटर पहले चारों व्यक्तियों को दौड़ाकर घेर– घारकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो पहले ने अपना नाम आमिर बताया व दूसरे ने अपना नाम आरिफ बताया

तथा तीसरे ने अपना नाम तस्लीम बताया व चौथे ने अपना नाम बब्लू बताया तथा भागने का कारण पूछने पर बताया कि उन लोगों के पास नशीली अल्प्रासेफ दवा का पाउडर है , इसी डर से आप लोगों को देखकर भाग रहे थे कि आप लोगों ने दौड़ाकर मौके पर पकड़ लिया । जिस पर धारा 50 NDPS Act के प्राविधानों के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी को अवगत कराते हुए का० राजीव , जो पूर्व में क्षेत्र में मामूर है , को चौकी से पुलिस किट बैग मय इले० तराजू के यथाशीघ्र मौके पर व्यवस्थित लाने हेतु बताया गया , जिसके उपरान्त क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी मौके पर स्वय उपस्थित आ गये , जिनके समक्ष निर्देशन में क्रमशः पकड़ गये चारों व्यक्तियों में से पहले व्यक्ति आमिर की जामा तलाशी ली गयी तो पकड़े गये व्यक्ति के पहने पैंट की दाहिनी जेब से प्लास्टिक की पन्नी में रखी एक अदद पुड़िया बरामद हुई , जिसे खोलकर देखा गया तो अल्प्रासेफ जैसा नशीला पाउडर लग रहा है। दूसरे व्यक्ति आरिफ की जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैंट की बायी जेब से प्लास्टिक की पन्नी में रखी एक अदद पुड़िया बरामद हुई , जिसे खोलकर देखा गया तो अल्प्रासेफ जैसा नशीला पाउडर लग रहा है । तीसरे व्यक्ति तस्लीमा की जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैंट की दाहिनी जेब से प्लास्टिक की पन्नी में रखी एक अदद पुड़िया बरामद हुई , जिसे खोलकर देखा गया तो अल्प्रासेफ जैसा नशीला पाउडर लग रहा है । चौथे व्यक्ति बब्लू की जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैंट की बायी जेब से प्लास्टिक की पन्नी में रखी एक अदद पुड़िया बरामद हुई , जिसे खोलकर देखा गया तो अल्प्रासेफ जैसा नशीला पाउडर लग रहा है । बरामद पुड़िया को इले० तराजू से तौला गया तो क्रमशः आमिर , आरिफ , तस्लीम व बब्लू से बरामद पाउडर नशीला , जिसका वजन क्रमशः 15 ग्राम , 17 ग्राम , 18 ग्राम तथा 19 ग्राम है , जिसमें से प्रत्येक से 02–02 ग्राम नशीला पाउडर अलग अलग कर वास्ते नमूना माल निकाला गया तथा शेष माल नशीला पाउडर को उन्ही पुड़ियों में रखकर सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मोहर किया गया तथा नमूना माल को भी अलग अलग सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मोहर किया गया तथा मौके पर पकड़े गये व्यक्तियों को उनके कृत्य के जुर्म धारा 8/21 NDPS Act से अवगत कराते हुए दिनांक 20–07–2022 को समय करीब 22:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में अभियुक्त के पास से 19 ग्राम अल्प्रासेफ नशीला पाउडर बरामद होना दर्शित है , जो कि एन०डी०पी०एस० एक्ट की सूची के अनुसार अल्प मात्रा से अधिक है । इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध निम्न आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है –

1– मु०अ०सं० 372/2017, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना निगोही, जिला शाहजहाँपुर ।

2– मु०अ०सं० 1026/2017, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना निगोही, जिला लखीमपुर खीरी ।

अभियुक्त की गिरफ्तारी का समय व स्थान फर्द में उल्लिखित किया गया है। फर्द बरामदगी के आधार पर यह स्पष्ट है कि बरामद अल्प्रासेफ नशीला पाउडर को मौके पर ही अलग– अलग कपड़े में रखकर सील कर सर्वमोहर किया गया। अभियुक्त के पास से बरामद पदार्थ अल्प्रासेफ नशीला पाउडर की मात्रा यद्यपि वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है , किन्तु अभियुक्त के आपराधिक इतिहास से उसकी आपराधिक मनः स्थिति की झलक स्पष्ट हो रही है । इसलिए मेरे विचार में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थी/ अभियुक्त बब्लू का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बब्लू द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है । कार्यालय जमानत आदेश की एक प्रति अभियुक्त या उसके विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान करें।

दिनांकः 17–08–2022

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०, न्यू)/
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)
लखीमपुर खीरी ।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 2720